

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क0 675/आर-446/2022/ब-1/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2022

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट आवंटन, व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 373/आर-63/2022/ब-1/चार दिनांक 31 मार्च 2022

..000..

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए संदर्भित पत्र की कंडिका (II) व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत बिन्दु कं0-4 की उपकंडिका 4.2 में विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट-2 अनुसार निर्धारित की गई है। विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि माह-जुलाई 2022 के लिए परिशिष्ट-2 "ई" अनुसार पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा (पूंजीगत) निर्धारित की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)

संचालक बजट एवं अपर सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2022

क्रमांक : 676/आर-446/2022/ब-1/चार

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) - प्रथम/द्वितीय, ग्वालियर/भोपाल।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल।
3. संचालनालय, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।


अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट-2 "ई"

वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह जुलाई 2022 के लिए पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रुपये करोड़ में)

क्रमांक	विभाग	मांग संख्या	जुलाई 2022 हेतु
1	चिकित्सा शिक्षा विभाग	052	647.69


19/7/22